

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(13)नविवि/वजीरपुर(सवाईमाधोपुर)/2025

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं० 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को वजीरपुर (जिला-सवाईमाधोपुर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष 2047 तक के लिये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	NAME OF REVENUE VILLAGE (In ENGLISH)
1.	बड़ौली	BAROLI
2.	छकड़ा	CHHAKRA
3.	खरेड़ा	KHARERA
4.	खेड़ला	KHERLA
5.	शेखपुर	SHEKHPUR
6.	श्यारौली	SYAROLI
7.	वजीरपुर	WAZEERPUR

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, वजीरपुर (जिला-सवाईमाधोपुर)।



10. अतिरिक्त निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम